

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर


क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)(17)डीएलबी/19/14395

दिनांक: 8/3/19

आदेश

श्री नलिन नारायण रजि0 नं0 आर/868/1999, श्री आलोक गर्ग रजि0 नं0 148/1995 एवं श्री संदीप शर्मा पुत्र श्री महावीर प्रसाद शर्मा को माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरणों में नगर निगम, जयपुर की ओर से पैरवी करने हेतु नियमानुसार 20,000/- (अक्षरे बीस हजार रूपये) मासिक मानदेय/पारिश्रमिक पर आगामी आदेशो तक के लिये स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। इनको मासिक पारिश्रमिक का भुगतान नगर निगम, जयपुर से देय होगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)(17)डीएलबी/19/14396-14404 दिनांक: 8/3/19  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. माननीय महापौर महोदय, नगर निगम, जयपुर।
5. आयुक्त महोदय, नगर निगम जयपुर।
6. निदेशक (विधि) नगर निगम जयपुर।
7. सम्बन्धित अधिवक्ता श्री '.....'।
9. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी